

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

सहायक कलेक्टर बापिणी

डूंगर सिंह

बनाम

सजोहर बिंदु माथी वर्गेश

सं. मुकदमा

212

नं.

63

सन्

2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|--|--|--|
| <p>16/12/24</p> <p>05/02/2025</p> <p>12/2/2025</p> | <p>बिंदी/प्रार्थी/अपीलान्त ने एक वाद/प्रार्थना पत्र/ अपील विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट्स के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट्स की तलमी हरिये सम्मन/नोटिस रजि.एडी. की जाकर पत्रावली दिनांक 15/11/24 को पेश हो।</p> <p><i>Dejend.</i> सहायक कलेक्टर बापिणी</p> <p>15/12/25 पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय उप. 1 सिद्धांत वाक्ये जवाब पत्रावली पत्र हेतु दि. बावण 12/25 को पेश हो।</p> <p><i>Dejend.</i> सहायक कलेक्टर बापिणी</p> <p>पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 12/02/25 को पेश हो। <i>Dejend.</i> सहायक कलेक्टर बापिणी</p> <p>पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 20/2/25 को पेश हो। <i>Dejend.</i> सहायक कलेक्टर बापिणी</p> | |
| <p>26/2/25</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय उप. एवं अपील उपस्थित। मुक्त वाद जजिये राजीनामा सा दावा निश्चित दिनांक 20/2/25 को स्वारिज किया जा चुका है।</p> <p>उप. मुक्त वाद का निश्चयवादी जजिये के कारण से पत्रावली पत्र का लघ कोड सौचित्य नहीं रह जाते हैं। पत्रावली पत्र जो स्वारिज किया जाता है। पत्रावली के द्वारा सुझार होकर मन्बर से जाच की जाकर दाखिल रहता है।</p> <p><i>Dejend.</i> सहायक कलेक्टर बापिणी</p> | |